न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 140/2011

प्रार्थी–

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थीगण–

धर्मसिंह पुत्र गुमानसिंह फौत के कायम मुकाम

1. आसूसिंह पुत्र धर्मसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र धर्मसिंह
3. करनसिंह पुत्र धर्मसिंह फोत के कायम मुकाम

3.1 दलपतसिंह पुत्र करनसिंह

3.2 हरिसिंह पुत्र करनसिंह

3.3 रेखा पत्नी करनसिंह

4. अजीतसिंह पुत्र धर्मसिंह

जाति राजपूत निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.1968 जो भूमि आवंटन कमेटी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 01 व 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक : 23.09.2024

1. संक्षेप में रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पादरड़ी की भूमि खसरा नं. 145 रकबा 321–[illegible] समय गैर मुमकिन नदी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। भूमि आवंटन कमेटी [illegible] अपने आदेश दिनांक 01.06.1968 के जरिये अप्रार्थी [illegible] उक्त ग्राम पादरड़ी के खसरा नं. 145/12 रकबा 10–00 बीघा गैर मुमकिन नदी में बिना [illegible] आवंटन कर दिया। आवंटन कमेटी को गैर मुमकिन नदी के नियमन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार नियमन विरूद्ध आवंटन एवं उसके अनुसरण में भरे गये नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1968 को निरस्त करने एवं ग्राम पादरड़ी की आराजी खसरा नम्बर 145/12 रकबा 01.6187 हैक्टर को अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन नदी दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सुनवाई उपरांत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2012 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सुनवाई एवं अंतिम विनिश्चय हेतु रेफर किया गया।

2. राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण रेफरेंस/एलआर/2012/4259/बाड़मेर सरकार बनाम आसुसिंह में आदेश दिनांक 17.09.2021 पारित कर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अब्दुल रहमान केस के सन्दर्भ में दिनांक 15.08.1947 अर्थात् संवत 2004–05 के राजस्व रेकर्ड अनुसार सही रेफरेंस प्रस्तुत करें। इस पर प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गए।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का यह तर्क है कि ग्राम पादरड़ी का खसरा नं. 145 रकबा 321–16 बीघा वक्त सेंटलमेंट से गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व अभिलेख में अभिलिखित था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 01.06.1968 को गलत एवं अवैध बताते हुए निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह भी निवेदन किया कि तहसील गुड़ामालानी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रथम बन्दोबस्त 1955 अर्थात् संवत 2012 में ही हुआ हैं तथा इससे पूर्व राजस्व रेकर्ड संधारित नहीं था। अतः प्रथम बन्दोबस्त में दर्ज गैर मुमकीन नदी की किस्म का आवंटन नहीं किया जा सकता हैं।

4. अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व सुनवाई के दौरान प्रकट किया गया हैं कि आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जांच कर अप्रार्थी के पूर्वजों का सेटलमेंट से पूर्व कब्जा होने से भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटित भूमि नदी की भूमि नहीं हैं बल्कि कृषि की भूमि एवं उपजाऊ भूमि हैं। आवंटि भूमि नदी का बहाव क्षेत्र हैं परन्तु बहाव होने को नदी के रूप में नहीं माना जा सकता हैं। सैटलमेंट वालों ने गलत रूप से सम्पूर्ण भूमि को नदी के रूप में दर्ज की हैं जो गलत हैं। अतः रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

5. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा पादरड़ी के खसरा नंबर 145/12 रकबा 10 बीघा (वर्तमान में 01.6187 हैक्टर) भूमि की अप्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा पादरड़ी में अवस्थित भूमि खसरा नं. 145/12 रकबा 321–16 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। तहसील गुड़ामालानी का प्रथम भू–बन्दोबस्त वर्ष 1955 अर्थात् संवत 2012 में सम्पन्न हुआ हैं तथा इससे पूर्व भूमि सम्बन्धी कोई अभिलेख संधारित नहीं हुआ था ऐसे में प्रथम बन्दोबस्त में गैर मुमकीन दर्ज भूमि के गलत आवंटन एवं इसके फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से [illegible] अप्रार्थीगण स्वंय द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया गया हैं कि [illegible] नदी के बहाव में आती हैं, ऐसे में माननीय राजस्थान [illegible] सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमिया को आवंटन अथवा खातेदारी

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण पूर्वज धर्मसिंह को दिनांक 01.06.1968 को ग्राम पादरड़ी के खसरा नं. 145/12 रकबा 10 बीघा (वर्तमान में 01.6187 हैक्टर) भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested